तारीख हुक्म	न्यायालय सहायक कलेक्टर अलवर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज मु. नं. 2/87 ता. रज्जू. 4-7-14	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उनवान :- रामेश्वर दयाल v/s श्रीमती कृष्णा

लोक अदालत कैम्प कोर्ट : भण्डोडी

निर्णय दिनांक 24-5-17

आज पत्रावली कैम्प कोर्ट भण्डोडी में पेश हुई। वादी रामेश्वर दयाल उप०। वादी ने अपने वाद के साथ एक वाद प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTAct का इस आशय का पेश किया कि मिन प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण जो कि स्व. श्री भोमाराम महाजन के जायज वारिस है। आराजी खसरा नम्बर 614 रकबा 0.23 एयर, 619 रकबा 0.13 एयर, 620 रकबा 0.15 एयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.51 एयर वाके ग्राम भण्डोडी तह. मालाखेड़ा जिला अलवर पर संयुक्त रूप से काबिज व खातेदार काश्तकार है तथा जिनके उक्त आराजीयात पर काश्त करते आ रहे है तथा मिन प्रार्थी को विधिक हक हकूक प्राप्त है जो विधि अनुसार अपने खातेदारी पर फसल बोए, जोते, उठाए आदि जिसमे अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। अप्रार्थी नं. 1 लगायत 3 जो कि एक ही जाति विशेष के लोग है तथा लड़ाका व झगड़ालू है जिनके द्वारा एक नाजायज गिरोह बनाया हुआ है जो कि बिना किसी हक व अधिकार के मिन प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के विवादित आराजी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करते है। स्वयं जबरन कब्जा करने की फिराक में है। अत: असल अप्रार्थीगण को ता फैसला मूल वाद तक जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

बाद प्रा॰ पत्र पर को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिए वकील उप॰ होकर जवाब पेश किया कि वर्णित आराजीयात में वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नही है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का बुर्जगान के समय से कब्जा चला आ रहा है जिस पर आज भी कब्जा काश्त चले आ रहे है ना हि वादी व प्रतिवादीगण तरतीबी प्रतिवादीगण का कोई सामलात हिस्सा ही नही रहा है असल प्रतिवादीगण को तंग वो परेशान करने की नियत से उक्त झूठा वाद न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है उक्त आराजीयात पर नाजायज कब्जा करने की नियत से आये दिन लड़ाई झगड़ा करते रहते है उक्त आराजी पर असल प्रतिवादीगण के बुर्जगानों के समय से ही कब्जा चला आ रहा है। उक्त आराजीयात पर यदि किसी प्रकार का स्थगन आदेश जारी कर दिया जाता है तो वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण उक्त आराजी को रहन बैय मुन्तकिल कर खुर्द बुर्द कर देंगे। अतः वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को तावैफसला स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे। वादी को ~~केम्प~~ एवं प्रतिवादीगण को केम्प कोर्ट मे उप॰ होने हेतु नोटिस जारी किए किन्तु वादी उप॰ हुआ। प्रतिवादीगण [redacted] की तरफ से बावजूद इत्तिला के कोई उप॰ नही हुआ। हमने लोक अदालत केम्प कोर्ट मे वादी रामेश्वर दयाल को सुना। पत्रावली मे प्रस्तुत प्रा॰ पत्र, शपथ पत्र जवाब प्रा॰ पत्र, शपथपत्र, राजस्व रिकॉर्ड एवं पूर्व प्रचलित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 4-7-2014 का आद्योपान्त अवलोकन किया। हमने राजस्व रिकॉर्ड मे हाल जमाबंदी सम्वत 2069-2072 मे वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण का नाम खातेदारी मे है। असल प्रतिवादीगण द्वारा कोई ऐसा दस्तावेज पेश नही किया जिससे यह साबित होता हो कि उनका कोई इस जमीन मे हिस्सा है। मूल वाद अभी विचाराधीन है मूल वाद का साक्ष्य, सबूत के आधार पर निस्तारण होगा।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन से अदालत इस नतीजे पर पहुँची है कि प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन वादी के

रामेश्वरदयाल V/s श्रीमती कमला

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पक्ष में पारित जाते हैं। अतः इसी न्यायालय द्वारा पूर्व प्रचलित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 4-7-2014 को ता फैसला मुकदमा स्थाई (Absolute) किया जाता है।

निर्णय लोक अदालत कैम्प भण्डोली में सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होवे।

सहायक कलक्टर
अलवर